भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2497

(06 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत जॉब कार्डों के विलोपन

2497. श्री हरीश चंद्र मीना:

श्री के. सुधाकरन:

श्री बैन्नी बेहनन:

श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:

डॉ. अमर सिंह:

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका:

श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत:

श्री बी. मणिक्कम टैगोर:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2019-20 से आज तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत जॉब कार्डों के निरस्त करने संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) जॉब कार्डों के निरस्तीकरण के राज्यवार और वर्षवार क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जो श्रमिक आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली (एबीपीएस) के लिए पात्र नहीं हैं , वे एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) मंत्रालय द्वारा एमजीएनआरईजीएस श्रमिकों के बीच एबीपीएस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) एबीपीएस के बारे में श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए आयोजित किये गये सूचना-अभियानों की प्रकृति और संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने इन चुनौतियों के समाधान के लिए कोई उपचारोपाय किए है या विशिष्ट मार्गनिदेश जारी किए है और यदि हां , तो इसके तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं , तो इसके क्या कारण क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के अंतर्गत 2019-20 से चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 तक (30.07.2024 की स्थिति के अनुसार) हटाए गए जॉब कार्डों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या अनुबंध में दी गई है।

(ख): योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य की होती है और महात्मा गांधी नरेगा योजना में उचित कार्यान्वयन के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। जॉब कार्ड का सत्यापन राज्य /संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की जाने वाली एक प्रक्रिया है। जॉब कार्ड को उचित सत्यापन के बाद केवल तभी रद्द/हटाया जा सकता है, जब वह (i) फर्जी जॉब कार्ड (गलत जॉब कार्ड), (i i) जाली जॉब कार्ड, (i i i) काम करने के लिए तैयार न होने वाले परिवार , (i v) ग्राम पंचायत से स्थायी रूप से अन्य स्थान पर जाने वाले परिवार और (v) जॉब कार्ड में एकल व्यक्ति हो और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो।

(ग) : आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस) को 1 जनवरी 2024 से पूरे देश में अनिवार्य कर दिया गया है। आधार संख्या को एक विशिष्ट केन्द्रीय पहचानकर्ता के रूप में उपयोग करने से यह सुनिश्चित होता है कि मजदूरी का भुगतान वास्तविक लाभार्थियों के खातों में जमा हुआ है। आधार आधारित भुगतान प्रणालियों के एकीकरण से महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत मजदूरी वितरण की दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार हुआ है। आधार प्रमाणीकरण से लीकेज और भ्रष्टाचार में कमी आती है, तथा यह सुनिश्चित होता है कि केवल सत्यापित पहचान वाले सही लाभार्थियों को ही मजदूरी मिले। आधार आधारित भुगतान ब्रिज प्रणाली के माध्यम से भुगतान न होने के मामले में, खाता आधारित भुगतान अर्थात राष्ट्रीय स्वचालित क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) के माध्यम से भुगतान करने का एक वैकल्पिक माध्यम उपलब्ध है।

(घ) से (च): भारत सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा योजना लाभार्थियों के बीच आधार - आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं:

1. आधार नामांकन अभियान: यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी महात्मा गांधी नरेगा योजना लाभार्थियों को विशिष्ट आधार संख्या के साथ पंजीकृत किया जाए , ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नामांकन अभियान चलाए गए।
2. आधार को जॉब कार्ड और बैंक खातों से जोड़ना: श्रमिकों के आधार ब्यौरा को उनके जॉब कार्ड और बैंक खातों से जोड़ने का प्रयास किया गया। यह एकीकृत एबीपीएस भुगतान को सक्षम करने के लिए महत्वपूर्ण है।
3. जागरूकता अभियान: लाभार्थियों को एबीपीएस के लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए विभिन्न जागरूकता अभियान चलाए गए , जैसे कि लीक को रोकना , शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करना और अस्वीकृतियों को कम करना।

4. प्रशिक्षण कार्यक्रम : स्थानीय अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को एबीपीएस प्रक्रिया से परिचित कराने तथा उनकी समस्याओं या मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इन उपायों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना लाभार्थी एबीपीएस के माध्यम से समय पर और पारदर्शी तरीके से अपना भुगतान प्राप्त कर सकें।

इसके अलावा, राज्यों को सलाह दी गई है कि वे आधार शिविरों के साथ -साथ बैंकों द्वारा भी आधार आधारित भुगतान ब्रिज प्रणाली के लिए शिविर आयोजित करें , ताकि लाभार्थियों को सुविधा मिल सके। बैंकों से अनुरोध किया गया है कि वे महात्मा गांधी नरेगा योजना लाभार्थियों के आधार नंबरों को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) मैपर में समय पर जोड़ना सुनिश्चित करें, ताकि आधार आधारित भुगतान ब्रिज प्रणाली को सक्षम बनाया जा सके।

यदि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आधार आधारित भुगतान ब्रिज प्रणाली के संबंध में किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है तो उसे प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाता है।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 06.08.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2497 के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

2019-20 से चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 तक महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत हटाए गए जॉब कार्डों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या (30.07.2024 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हटाए गए जॉब कार्ड (संख्या में)						कुल (वित्त वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक)
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	
1	आंध्र प्रदेश	24613	3426	185096	2887981	370459	82618	3554193
2	अरुणाचल प्रदेश	7356	6153	9615	8919	13080	3435	48558
3	असम	65703	96628	76257	157919	283042	186849	866398
4	बिहार	77290	182407	1273514	5872939	2113160	406753	9926063
5	छत्तीसगढ़	129658	170304	139660	265282	294940	329528	1329372
6	गोवा	1	8	11	21	24	5	70
7	गुजरात	40314	131080	40282	146317	339433	10756	708182
8	हरियाणा	5083	15413	8532	11033	8840	2388	51289
9	हिमाचल प्रदेश	4057	8000	10351	18278	16097	2208	58991
10	जम्मू और कश्मीर	33032	94078	37635	38395	73035	18215	294390
11	झारखंड	50594	89446	228770	955969	325515	143063	1793357
12	कर्नाटक	27534	7197	41843	203310	96079	3976	379939
13	केरल	17725	23773	27340	110780	219264	61702	460584
14	लद्दाख	675	1336	889	1426	899	178	5403
15	मध्यप्रदेश	514047	1062995	1100840	367960	697776	30542	3774160
16	महाराष्ट्र	22105	48460	28201	72872	37651	5011	214300

17	मणिपुर	3961	11126	4449	3154	5787	3256	31733
18	मेघालय	8017	8119	5449	3837	15395	10319	51136
19	मिजोरम	6607	9896	8580	4213	5163	5861	40320
20	नागालैंड	9999	1136	1797	2529	3763	1839	21063
21	ओडिशा	121028	313621	793292	2371702	524543	158759	4282945
22	पंजाब	16675	14330	65858	341060	69506	5386	512815
23	राजस्थान	80406	117660	129285	634880	393912	35954	1392097
24	सिक्किम	1302	784	1343	1417	2154	445	7445
25	तमिलनाडु	33148	126017	155065	328050	694636	613053	1949969
26	तेलंगाना	4084	5282	15976	510683	84744	54742	675511
27	त्रिपुरा	8571	8684	5951	6277	22615	1717	53815
28	उत्तर प्रदेश	99864	201998	589309	4879800	3343557	28348	9142876
29	उत्तराखंड	7370	16508	26004	149433	45557	16596	261468
30	पश्चिम बंगाल	10554	19374	27741	2177543	169691	956	2405859
31	अण्डमान और निकोबार	1930	1528	448	143	71	243	4363
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	0	0	2	5	7
33	लक्षद्वीप	2	1	8	18	52	0	81
34	पुदुचेरी	126	245	258	4398	606	276	5909
	कुल	**1433431**	**2797013**	**5039649**	**22538538**	**10271048**	**2224982**	**44304661**